# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,चूरू(राजस्थान)

क्रमांक / बीबीबीपी / 22 / 1454-1459 दिनांक :- 21-2-22

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,चूरू
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चूरू
4. सयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्येगिकी एवं संचार विभाग, चूरू
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरू
6. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, चूरू

विषयः— 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित गतिविधियों के संबंध में।

संदर्भः— श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्रक्रमांकः प.21 (1)() निमअ / अमदि / 2020 / 6627—59 दिनांक 18.02.2022

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीस महिला दिवस पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वागीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु कार्यकम के कम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 5 मार्च से 8 मार्च के दौरान चार दिवसीय कार्यकम का आयोजन किया जायेगा (विवरण संलग्न)।

जिले में इन कार्यक्रमों का आयोजन महिला एवं बाल विकास स्कूल शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग एवं समन्वय से किया जाना है। अतः संबंधित गतिविधि का नोड्ल विभाग सहयोगी विभागों से समन्वय कर गतिविधियां सम्पादित करावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

( सिद्धार्थ सिहाग )
जिला कलक्टर
चुरू

क्रमांक / बीबीबीपी / 22 / 1460-61 दिनांक :- 21.2-22

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान आयुक्त, निदेशालय महिला अधिकारिता,राजस्थान, जयपुर
2. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
चुरू

राजस्थान सरकार

# निदेशालय महिला अधिकारिता

## (महिला एवं बाल विकास विभाग)

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

## 8 मार्च, 2022 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में चार दिवसीय कार्यक्रम (5 मार्च से 8 मार्च)

| क्र.स. | दिनांक / वार विवरण | नोडल विभाग | सहयोगी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | **5 मार्च /शनिवार (स्कूलों में शनिवार No bag day पर खेल कूद गतिविधियों का आयोजन)** | | |
| | • **खेलकूद गतिविधियाँ**<br>➢ ड्रॉप–आउट किशोरियों तथा समस्त अन्य बालिकाओं एवं किशोरियों एवं महिलाओं के लिये **प्रत्येक पंचायत समिति** के कम से कमकिसी एक राजकीय स्कूल में खेल–कूद आदि गतिविधियों का आयोजन।<br>➢ हैल्थ कैम्प एवं उड़ान योजना का प्रचार–प्रसार।<br>• प्रतिभागियों की रूचि अनुसार स्थानीय खेल यथा खो–खो, रूमाल झपट्टा, रस्सीकूद /दौड़ / म्यूजिकल चैयर या अन्य खेलो तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता गायन एवं नृत्य आदि गतिविधियों का आयोजन।<br>• प्रतिभागियों को इनाम आदि। | स्कूल शिक्षा | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग<br><br>महिला अधिकारिता<br><br>समेकित बाल विकास सेवाएं |
| 2. | **6 मार्च /रविवार (विशेष जाजम बैठक का आयोजन)** | | |
| | • साथिन द्वारा विशेष जाजम, बेटी एवं महिला आदि विषयों पर गीत–संगीत कार्यक्रम।<br>• आई एम शक्ति उड़ान योजना पर चर्चा | महिला अधिकारिता | समेकित बाल विकास सेवाएं |
| 3. | **7 मार्च /सोमवार (पैडमेन फिल्म का प्रदर्शन)** | | |
| | • ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर पर आई एम शक्ति उड़ान योजना<br>सम्बंधित ऑडियो वीडियो फिल्म एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं जागरूकता हेतु फिल्म **"पैडमेन"** का नियमानुसार अनुमति उपरान्त प्रसारण।<br>• प्रसारण – निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा प्राप्त तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के समन्वय द्वारा प्रसारण<br>❖ ग्राम पंचायत स्तर पर<br>➢ राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों एवं ई–मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से प्रसारण। | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | समेकित बाल विकास सेवाएं<br><br>महिला अधिकारिता<br><br>सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ लगभग 100 किशोरियों एवं महिलाओं की सहभागिता<br>(स्थान की उपलब्धता के अनुसार)<br>❖ पंचायत समिति स्तर पर<br>➢ समस्त राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों एवं ई–मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से प्रसारण।<br>➢ जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आमंत्रित।<br>➢ लगभग 200 महिला दर्शकों की भागीदारी (स्थान की उपलब्धता के अनुसार)<br>❖ जिला स्तर पर<br>➢ जिलें में स्थित किसी एक सिनेमाघर में फिल्म का निःशुल्क प्रसारण।<br>➢ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में वी.सी. सेटअप पर प्रसारण।<br>➢ फिल्म देखने हेतु जिले के समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, स्वयं सेवी संस्थाएं, ब्राण्ड एम्बेसेडर आदि आमंत्रित। | | |
| 4. | **8 मार्च /मंगलवार (राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह)** | | |
| | • **जिला स्तरीय कार्यक्रम –**<br>जिला स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन।<br>(राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पश्चात) | महिला अधिकारिता | समेकित बाल विकास सेवाएं<br>स्कूल शिक्षा विभाग<br>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग<br>सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग |

▪ **निम्न गतिविधियों हेतु समन्वयक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता होगा।**

******

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः प.21(1)( )निमअ/अमदि/2020/6627-59 दिनांकः 18/02/2022

जिला कलक्टर (समस्त),
राजस्थान।

विषयः– 8 मार्च 2022 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित गतिविधियों के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण हेतु कार्यक्रमों के क्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 5 मार्च से 8 मार्च के दौरान चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा (विवरण संलग्न)।

जिले में इन कार्यक्रमों का आयोजन महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग एवं समन्वय से जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है।

विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता स्तर से जिलों को पृथक से बजट आवंटित किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मद में उपलब्ध बजट का उपयोग भी इस कार्यक्रम आयोजन हेतु किया जा सकता है।

आशा है आपके निर्देशन में कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(श्रेया गुहा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प.21(1)( )निमअ/अमदि/2020/6660-6728 दिनांकः 18/02/2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय, राजस्थान।
4. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग जिला कार्यालय।

आयुक्त
महिला अधिकारिता